रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 149] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 1985/चैत्र 6, 1907
No. 149] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 1985/CHAITRA 6, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1985

का. आ. 252 (अ) :—दिनांक पहली मार्च, 1984 की सरकारी अधिसूचना सं. एफ. 4/3/82-बी. 1(2) द्वारा यथासंशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खण्ड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह निर्णय करती है कि डा. आर. के. बाजपेयी,

8/323, दयाल नगर, (इन्दिरा कालोनी,) भोगीपुरा, शाहगंज, आगरा, विजया बैंक के निदेशक मण्डल के तत्काल निदेशक नहीं रहेंगे ।

[सं. 23/3/82-बी. ओ. I]

वी. के. सिबल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1985

S.O. 252(E).—In exercise of the powers conferred by clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended vide Government Notification No. F. 4|3|82-BO.I(2), dated March 1, 1984, the Central Government is pleased to decide that Dr. R K. Bajpai, 8|323, Dayalnagar (Indira Colony), Bhogipura, Shahganj, Agra (U.P.) shall cease to hold the office of director on the Board of Directors of Vijaya Bank with immediate effect.

[No. F. 23|3|82-BO.I]

V. K. SIBAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985